

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-स. 3(3)(1) स्था/मंत्रा./अभि./2017/पार्ट-1/16185-207

दिनांक:- 27-11-17

आदेश

अभियोजन विभाग में काफी संख्या में लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत्त मंत्रालयिक सेवा के कार्मिकों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) डी. ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 11.07.2017 में वर्णित शर्तों के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है इसलिये उच्च पद से सेवानिवृत्त कार्मिक की, यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड-पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड-पे के अनुसार (परिशिष्ट-क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर तुरन्त प्रभाव से अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	सेवानिवृत्ति से पूर्व का पद एवं विभाग	जन्म तिथि	कार्यालय जहाँ नियुक्ति की जानी है।	वि.विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री भगवान सहाय शर्मा	लिपिक ग्रेड- प्रथम रा.रा.प. परिवहन विभाग	01.09.54	एडीपी अजमेर	प्रथम बार
2.	श्री धन कुमार जैन	कार्यालय अधीक्षक अभियोजन विभाग	04.07.57	अभियोजन निदेशालय	प्रथम बार
3.	श्रीमती नीता मुखर्जी	सहा.कार्यालय अधीक्षक, अभियोजन विभाग	06.08.57	एडीपी जयपुर शहर द्वितीय	प्रथम बार
4.	श्री मनोहर लाल बैरवा	लिपिक ग्रेड-प्रथम, अभियोजन विभाग	25.08.57	एडीपी जयपुर शहर प्रथम	प्रथम बार
5.	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	लिपिक ग्रेड-द्वितीय अभियोजन विभाग	01.10.57	एडीपी सिरौही	प्रथम बार
6.	श्री कैलाश चन्द शर्मा	सीनीयर रीडर, न्याय विभाग	25.07.57	एडीपी चित्तोडगढ़	प्रथम बार
7.	श्री गोविन्द सिंह	सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस विभाग	14.04.54	एडीपी चित्तोडगढ़	प्रथम बार
8.	श्री हरि सिंह राठौड	सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस विभाग	03.04.57	एडीपी चित्तोडगढ़	प्रथम बार
9.	श्री कुबेर सिंह	सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस विभाग	04.03.55	एडीपी चित्तोडगढ़	प्रथम बार
10.	श्री देवनदास	कार्यालय अधीक्षक अभियोजन विभाग	01.09.57	एडीपी बाडमेर	प्रथम बार
11.	श्री गौरी शंकर	लिपिक ग्रेड-द्वितीय अभियोजन विभाग	01.07.57	एडीपी श्रीगंगानगर	प्रथम बार
12.	श्री मुन्ना लाल	लिपिक ग्रेड-प्रथम, अभियोजन विभाग	01.08.56	एडीपी धौलपुर	प्रथम बार
13.	श्री रमाकान्त शर्मा	सहा. कार्यालय अधीक्षक, अभियोजन विभाग	07.10.57	अभियोजन निदेशालय	प्रथम बार
14.	श्री रामेश्वर प्रसाद नागर	लिपिक ग्रेड-प्रथम, अभियोजन विभाग	07.12.57	एडीपी कोटा	प्रथम बार
15.	श्री राजेश कुमार कुर्डिया	सहायक कार्यालय अधीक्षक, शिक्षा विभाग	21.07.56	एडीपी अजमेर	द्वितीय बार
16.	श्री दर्शन सिंह बग्गा	वरिष्ठ रीडर, न्याय विभाग	20.07.57	एडीपी अजमेर	द्वितीय बार
17.	श्री सतीश कुमार गुप्ता	कार्यालय अधीक्षक अभियोजन विभाग	03.07.56	एडीपी अलवर	द्वितीय बार
18.	श्री आनन्द प्रकाश अटल	लिपिक ग्रेड-प्रथम अभियोजन विभाग	09.04.55	एडीपी अलवर	द्वितीय बार
19.	श्री महेन्द्र सिंह	लिपिक ग्रेड-प्रथम अभियोजन विभाग	01.08.55	एडीपी टोंक	द्वितीय बार

20.	श्री विनोद लालवानी	कार्या. कार्यालय अधीक्षक अभियोजन विभाग	02.02.56	एडीपी जोधपुर	द्वितीय बार
21.	श्री मधुप सक्सेना	कार्यालय अधीक्षक अभियोजन विभाग	03.07.56	एडीपी जयपुर शहर प्रथम	द्वितीय बार
22.	श्री रामगोपाल गुप्ता	रीडर, न्याय विभाग	02.12.53	एडीपी जयपुर शहर द्वितीय	द्वितीय बार
23.	श्री सत्यप्रकाश गौड	हॉस्पिटल केयर टेकर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	12.07.54	एडीपी जयपुर शहर द्वितीय	द्वितीय बार
24.	श्री भगवती लाल चावडा	लिपिक ग्रेड-द्वितीय, जल संसाधन विभाग	25.05.55	एडीपी चित्तोडगढ	द्वितीय बार
25.	श्री अरुण कुमार चौधरी	लिपिक ग्रेड-प्रथम, जल संसाधन विभाग	06.01.55	एडीपी चित्तोडगढ	द्वितीय बार
26.	श्री सुरेश चन्द जोशी	लिपिक ग्रेड-द्वितीय, राज्य बीमा विभाग	05.07.55	एडीपी चित्तोडगढ	द्वितीय बार
27.	श्री महावीर प्रसाद जैन	कार्यालय अधीक्षक अभियोजन विभाग	01.07.56	एडीपी सवाई माधोपुर	द्वितीय बार
28.	श्री लखन लाल वेष्णव	लिपिक ग्रेड-द्वितीय शिक्षा विभाग	04.08.55	एडीपी सवाई माधोपुर	द्वितीय बार
29.	श्री ओमप्रकाश गोत्तम	लिपिक ग्रेड-प्रथम, अभियोजन विभाग	01.04.56	एडीपी कोटा	द्वितीय बार
30.	श्री मंनू धनकर	सीनीयर रीडर, न्याय विभाग	21.02.56	एडीपी कोटा	द्वितीय बार
31.	श्री रामनिवास भालोटिया	लिपिक ग्रेड-प्रथम, कलेक्टर झुन्झुनू	01.02.54	एडीपी झुन्झुनू	द्वितीय बार
32.	श्री भंवर लाल राठोर	लिपिक ग्रेड-प्रथम, अभियोजन विभाग	01.09.56	एडीपी बून्दी	द्वितीय बार

- 1 कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.11/94 दिनांक 11.07.2017 के क्रम में नियुक्ति आदेश संबन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगा।
- 2 पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रूपये 500/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- 3 चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
- 4 सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकता है।
- 5 पुनः नियुक्ति सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएँ किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
- 6 इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01-(01) संवेतन व्यय (आयोजना भिन्न) से प्रभार्य होगा।

यह आदेश गृह (ग्रुप-10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. RAJ-E 00522/H-10/PSH दिनांक 23.11.2017 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(देवेन्द्र दीक्षित)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अनुभागाधिकारी गृह(ग्रुप-10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजि सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
3. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन,
4. संबन्धित कर्मचारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन,
5. लेखा शाखा /रक्षित पत्रावली।

716/27.11.17
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर